

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2020

जयपुर, दिनांक : 28.03.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने के साथ ही राज्य में पूर्ण बन्द (Lok Down) की स्थिति के कारण सामान्य रोगी चिकित्सा हेतु चिकित्सालय में नहीं पहुंच पा रहे हैं। अतः रोगियों के उपचार / स्क्रीनिंग / आर.आर.टी. हेतु जिले में उपलब्ध मोबाईल मेडिकल वैन एवं मोबाईल मेडिकल यूनिट का उपयोग जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा लिया जावे।

साथ ही उक्त कार्य के लिए सामाजिक दूरी की एडवायजरी की पालना सुनिश्चित की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय /
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य / एम.एस.यू.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राज.
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज. को प्रेषित कर लेख है कि उक्त मोबाईल मेडिकल वैन एवं मोबाईल मेडिकल यूनिट में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करावें।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
9. निजी / रक्षित पत्रावली



शासन उप सचिव